

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 125/2021

1. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम
2. पवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश
3. भीमराज पुत्र ओमप्रकाश

जाति समस्त नाई सकनाएँ 2 डी.एल.पी. नाथवाना
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम
2. सरबती पुत्री लक्ष्मणराम
3. इन्द्रा पुत्री लक्ष्मणराम
4. सुनीता पुत्री ओमप्रकाश
5. गोमती देवी पुत्री ओमप्रकाश
6. साहबराम पुत्र मल्लूराम
7. कृष्णलाल
8. रामकुमार
9. दलीपराम
10. महावीर
11. बलवन्तराम
12. रामसिंह उर्फ
13. राजेन्द्र
14. नरेश

पि0 ख्यालीराम

रायसिंह

जाति समस्त नाई

सकनाएँ 2 डी.एल.पी. नाथवाना

तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 7-6-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक वादीगण व श्री परविन्द्र सिंह, श्री बन्दुश बिश्नोई, श्री संजय साहेवाल अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा.डिक्री/भू.अ./24/1584 दिनांक 07.05.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वादपत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशतकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।

यक 2 डीएलपी खाता 144/23 में कुल रकबा 5.946 है. में मौके पर कब्जा काशत की भूमि

1. साहबराम पुत्र मलूराम जाति नाई साकिन नगराना प.नं. 164/190 मु.नं. 20 कि.नं. 16/1/0.215 है. 16/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता, 17,18,19/0.253 है.प्र. कि.नं. 22/0.100 है. प.नं. 165/190 मु.नं. 21 कि.नं. 18/0.250 है. कि.नं. 19,20/0.253 है.प्र., 21/1/0.070 है. 23/1/0.013 है. कुल रकबा 1.951 है. नहरी मय गै.मु।
2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम जाति नाई साकिन नगराना हाल आबाद 2 डी.एल.पी. प.नं. 164/190 मु.नं. 20 कि.नं. 22/2/0.153 है. 23,24/0.253 है.प्र. कि.नं. 25/1/0.215,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कि.नं. 25/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता, प.नं. 164/191 मु.नं. 38 कि.नं. 3/1/0.236 है. कुल रकबा 1.148 है. नहरी मय गै.मु.।

3. लक्ष्मणराम पुत्र मलुराम जाति नाई साकिन नगराना हाल आबाद 2 डी.एल.पी. प.नं. 165/190 मु.नं. 21 किला 21/2/0.183 है. 22/0.253 है. 23/2/0.240 है. 17/0.127, 18/0.003 कुल रकबा 0.806 है नहरी
4. कृष्णलाल, दलीपराम, नरेश, बलवन्त, महावीर, राजेन्द्र रामकुमार, रायसिंह पि० ख्यालीराम बहिब जाति नाई सा. नगराना हाल आबाद 2 डी.एल.पी. प.नं. 164/191 मु.नं. 38 किला न. 3/2/0.017 है. 4/0.253 5/1/0.215 5/2/0.038 हैं में गै.मु. रास्ता 6/1/0.215 है. 6/2/0.038 गै.मु. रास्ता 7,8/0.253 है प्र. प.न. 165/191 मु.नं. 37 कि.न. 1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता प.नं. 165/190 मु.नं. 21 किला न 24/0.253 में कुल रकबा 2.041 है नहरी मय गै.म.।

चक 6 एन.जी.आर. के खाता संख्या 154/28 में कुल रकबा 2.302 हैं व चक एसबीएन के खाता संख्या 22/12 में कुल रकबा 2.783 हैं में मौके पर कब्जा काश्त भूमि—

1. जवनकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई सा. ढाणी 2 डी.एल.पी. नाथवाता चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 154/28 के प.नं. 162/219 मु.नं. 13 किला न. 1/0.253 है 2/0.228 9/0.228 है 10/0.126 हैं कुल रकबा 0.835 हैं नहरी
2. भीमराज पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई सा. ढाणी 2 डी.एल.पी. नाथवाना चक एनजीआर खाता संख्या 154/28 के प.न. 162/219 मु.नं. 13 कि.नं. 2/0.025 है. 9/0.025 है. 12,18,19/0.253 है. प्र. 13/2/0.025 हैं कुल रकबा 0.834 हैं नहरी
3. साहबराम पुत्र मल्लूराम जाति नाई सा ढाणी 2 डी.एल.पी. नाथवाना चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 154/28 के प.न 162/219 मु.न 13 किला न 10/0.127 है 11, 20/0.253 है. प्र. कुल 0.633 है. चक 14 एसबीएन के खाता संख्या 22/12 के प.नं. 161/219 मु.न. 61 किला न 14, 17/0.013 है. प्र. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 गै. मु. खाला 4/1/0.012 है 7/0.012 है. 6,15,16/0.253 है. प्र. कुल 1.062 है. नहरी मय गै मु इस प्रकार दोनो चकों का कुल रकबा 1.695 है नहरी मय गै.मु.।
4. कृष्णलाल, दलीपराम, नरेश, बलवन्तराम, रामसिंह उर्फ रायसिंह, महावीर, राजेन्द्र, रामकुमार पि० ख्यालीराम ब.हि.ब. जाति नाई साकिन ढाणी 2 डी.एल.पी. नाथवाना चक नं. 14 एस.बी.एन. के खाता सं. 22/12 के प.नं. 161/219 मु.नं. 61 कि.नं. 3/1/0.228, 3/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 4/1/0.216 है. 4/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 7/0.241 है. 14,17/0.240 है. प्र., 8,13/0.253 है. प्र. कुल रकबा 1.721 है. नहरी मय गै.मु.।

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जा काश्त के अभाव में नियमानुसार कलमजन किये जावे।

नोट :—यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक—हिस्सा किया जावे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम डिक्री आज दिनांक 7.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया